

संख्यांक 1

मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)

बईजलास - उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)

करण संख्या: 85/2019

यरी दिनांक: 18.07. 2019

उनवान

1. जम्मा पुत्री गिरवर जाति रेबारी निवासी नाहरगढ़ तहसील माण्डलगढ़।
2. हीरा बेवा गिरवर जाति रेबारी निवासी नाहरगढ़ तहसील माण्डलगढ़।

—वादीगण

बनाम

1. रतिराम पिता सुवा जाति रेबारी निवासी नाहरगढ़ तहसील माण्डलगढ़।
2. राजाराम पिता सुवा जाति रेबारी निवासी नाहरगढ़ तहसील माण्डलगढ़।

—प्रतिवादीगण

पस्थित :-

1. श्री अनील पारीक (अधिवक्ता वादी)


वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम- 1955

:- निर्णय :-

निर्णय दिनांक : 28.10.2020

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर ग्राम नाहरगढ़ पटवार हल्का सुरास की शरहद में खाता संख्या 71 की आराजी संख्या 699/632 रकबा 2, आराजी संख्या 736/623 रकबा 2 बीघा, आराजी संख्या 744/632 रकबा 6 बीघा, आराजी संख्या 751/724 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा में से आराजी संख्या 744/632 रकबा 6 बीघा भूमि पर से प्रतिवादीगण द्वारा किये गये अवैध अतिक्रमण को हटाने व कब्जा पुनः वादीयां को सिपुर्द करने की डिक्री किये जाने का आदेश दिया जाता है। हर्जा खर्चा मुकद्मात फरिक्केन अपना अपना वहन करें।


आदेश आज 28.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर लगाकर दिया गया।


उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़।

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	आ.पा.	प्रतिवादी	रूपया	आ.पा.
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प			1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प			2. अर्जी के लिए स्टाम्प		
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प			3. प्लीडर की फीस		
4.			4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		
प्लीडर की फीस					
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय			5. आदेशिका को तामील		
6. कमिश्नर की फीस			6. कमिश्नर की फीस		
7. आदेशिका की तामील					




उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़।